भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2063
जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

न्याय परिदान व्यवस्था

2063. डॉ. प्रदीप कुमार पाणिग्रही :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) न्याय परिदान व्यवस्था किस प्रकार न्यायपालिका में जनता के और अधिक विश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम है ; और

(ख) सरकार द्वारा पारदर्शिता, जनता तक पहुंच और सामुदायिक भागीदारी में सुधार लाने और निष्पक्ष न्याय परिदान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : न्याय वितरण प्रणाली में न्याय प्रदान करने में कई हितधारक शामिल होते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायपालिका, विधि प्रवर्तन अधिकारी, अभियोजन अभिकरण और विधिक सहायता अधिकारी शामिल हैं। इन हितधारकों को विवादों को सुलझाने, विधियों को लागू करने और न्याय प्रशासन के लिए समन्वय में काम करने की आवश्यकता होती है ताकि जनता का विश्वास और भरोसा बढ़े।
सरकार पारदर्शिता, जन-सम्पर्क और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने वाले एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली को बढ़ावा मिले। इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं: -

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

ii. ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन भारतीय न्यायपालिका को आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। ई- न्यायालय परियोजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप को उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है, जिसने मामलों के अधिक पारदर्शिता और शीघ्र निपटान को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और

अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। तारीख 30.04.2024 तक वकीलों और वादियों को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए न्यायालय परिसरों में 1050 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 31.05.2024 तक, 21 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 28 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जिन्होंने 5.08 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया है और 561.09 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है। ई- न्यायालय परियोजना के घटक जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ट्रैफिक चालान के लिए वर्चुअल कोर्ट, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, ई-सेवा केंद्र, ई- न्यायालय सेवा ऐप और पोर्टल, जस्टआईएस ऐप, राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी), आदि ने प्रक्रियागत देरी को कम करने में मदद की है, जिससे मामलों का तेजी से निपटारा संभव हो पाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13.09.2023 को 7,210 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई- न्यायालय परियोजना के चरण-III को मंजूरी दी है। चरण-I और II के लाभों को अगले स्तर पर ले जाते हुए, चरण-III का मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच बनाना है, जो अदालतों, वादियों और अन्य हितधारकों के बीच एक सहज और कागज रहित इंटरफ़ेस प्रदान करेगा।

iii. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। इस योजना के तहत इसकी शुरूआत से अब तक 11167.36 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। न्यायालय भवनों की संख्या 30 जून 2014 को 15,818 से बढ़कर आज 23,020 हो गई है, तथा आवासीय इकाइयों की संख्या 30 जून 2014 को 10,211 से बढ़कर आज 20,836 हो गई है।

iv. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 09.07.24 तक उच्चतम न्यायालय में 62 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 976 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 745 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**31.12.2013 के अनुसार**	**29.07.2024 के अनुसार**
स्वीकृत पद संख्या	19,518	25,609
कार्यरत पद संख्या	15,115	20371

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 866 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

vi. निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों क्रियान्यवित किए गए हैं।

vii. महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में विशेष पोक्सो न्यायालय सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित किए गए हैं। 31.05.2024 तक, देश भर के 30 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 410 विशेष पोक्सो (ईपीओसीओ) न्यायालय सहित कुल 755 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 2,53,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

viii. विधायी संशोधनों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को बढ़ावा दिया गया है । तद्नुसार,वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया था । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए थे । हाल ही में अधिनियमित मध्यस्थता अधिनियम, 2023 में उपबंध किया गया है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में मध्यस्थता की जा सकती है।

ix. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जहां न्यायालय में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता कर लिया गया हो । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024 (24 जून तक)	2,86,75,168	56,88,231	3,43,63,399
कुल	**13,79,29,657**	**3,64,90,006**	**17,44,19,663**

x. केंद्रीय सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत या टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। 30 जून, 2024 तक, टैली विधि पर कुल 9051131 मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए थे जिसमें 8957714 मामले न्यायालय को समर्थित किया गया ।

xi. न्याय बंधु भारत का पहला डिस्पेंसेशन प्रो बोनो फ्रेमवर्क है, जहाँ इच्छुक वकील विधिक सेवा अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वंचित व्यक्तियों को प्रो बोनो सेवाएँ देते हैं। आज की तारीख में, 24 राज्य बार काउंसिल और 22 उच्च न्यायालयों से 11,146 प्रो बोनो अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत हैं और उभरते वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 89 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब सक्रिय किए गए हैं।

****